III/निग0/शहडोल/2018/01193

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर रीवा सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs 30/-

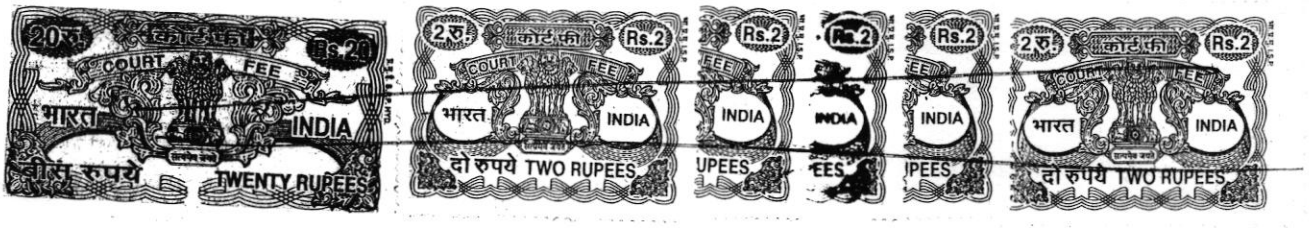

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

1– अंजनी पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

2– शिवप्रसाद पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

3– गोपीनाथ पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

4– सुरेश प्रसाद पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

5– अनिल प्रसाद पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

6– उमेश पिता स्व0 श्री कामता प्रसाद गुप्ता।

7– मुस0 गुलजारी पत्नी स्व0 कामता प्रसाद गुप्ता

8– रेखा पुत्री स्व0 श्री गजाधर गुप्ता

9– अरूण पिता स्व0 श्री गजाधर गुप्ता

10– सीताराम पिता स्व0 श्री गजाधर गुप्ता

11– मुस0 कुन्ती पत्नी स्व0 श्री गजाधर गुप्ता

सभी निवासी ग्राम कुबरा, तह0 जयसिंहनगर, जिला शहडोल म0प्र0

12– बबली पत्नी विजय कुमार पुत्री गजाधर गुप्ता सा0 सिहंपुर, तह0 सोहागपुर, जिला शहडोल म0प्र0

13– ऊषा पत्नी रामेश्वर गुप्ता पुत्री कामता प्रसाद गुप्ता सा0/तह0 कोतमा, जिला अनूपपुर (म0प्र0)

अधि0 श्री अंजनी कु. सोनी
मार्फत 16-2-18

————आवेदकगण

बनाम्

1– अशोक कुमार पिता भगवान दास गुप्ता साकिन कुबरा, तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0

2– लछिमिनिया पत्नी रामसुजान गुप्ता पुत्री भगवानदास गुप्ता, सा0 मुकुन्दपुर तह0 अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/शहडोल/2018/1193 जिला शहडोल अंजनी विरूद्ध अशोक कुमार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16-08-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. दिनांक 09-08-2018 को ग्राह्यता के प्रश्न पर आवेदक अभिभाषक श्री जे.पी. सिंह को सुना गया ।<br>3. अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा आदेश दिनांक 13-12-2017 से आवेदक अंजनी की अपील सारहीन होने से निरस्त की थी ।<br>4. अनुविभागीय अधिकारी जयसिंह नगर जिला शहडोल के द्वारा अपने आदेश दिनांक 27-02-2009 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था कि प्रकरण में स्वत्व संबंधी विवाद होने से 90 दिवस के लिए कार्यवाही स्थगित कर समय पश्चात राजस्व अभिलेख के आधार पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों को सुनने के पश्चात गुण-दोष के आधार पर प्रकरण में आदेश पारित करें ।<br>5. अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपर आयुक्त शहडोल के आदेश दिनांक 13-12-2017 में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।<br>सदस्य<br>16.8.18 | |